कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! परिपत्र !!

क्रमांक 44 /दो–11–1/2007 हरदा, दिनांक 15 /05/2025

प्रायः यह देखा जा रहा है कि वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रकरणों को अपील/रिवीजन हेतु मंगाये जाने पर विधि/नियमानुसार व्यवस्थित कर नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब कारित होता है।

अतः समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, अपने अधीनस्थ प्रस्तुतकार एवं निष्पादन लिपिकों को यह निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा मांगपत्र के माध्यम से मंगाये गये प्रकरणों को विधि/नियमानुसार व्यवस्थित करेंगे एवं पीठासीन अधिकारी स्वयं उक्त प्रकरण की जांच उपरांत वरिष्ठ न्यायालय को भेजे।

Bhawna 15/5

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 745 /दो–11–2/2005 (भाग–2) हरदा, दिनांक 17 /05/2025

प्रतिलिपिः–

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. समस्त प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक, जिला न्यायालय, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. कोर्ट मैनेजर/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/05/2025

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)